



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा
संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: paramedicalgmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक / 3879 / पैरामेडिकल / नं.सि.चौ.शा.चि.म. / 2023

खण्डवा, दिनांक: 04.05.2023

// काउंसलिंग संबंधित सूचना //

प्रथम चरण काउंसलिंग प्रक्रिया की तिथियाँ एवं समय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	काउंसलिंग की तिथियाँ	काउंसलिंग का समय	मेरिट लिस्ट
1	08 मई 2023	रजिस्ट्रेशन- प्रातः 09:00 से 10:00 काउंसलिंग- प्रातः 10:00 बजे से	(अ) विभागीय अभ्यर्थी (In-service candidate) (ब) मेरिट क्रमांक 01 से 25 तक के अभ्यर्थी
2	09 मई 2023	रजिस्ट्रेशन- प्रातः 09:00 से 10:00 काउंसलिंग- प्रातः 10:00 बजे से	मेरिट क्रमांक 26 से 50 तक के अभ्यर्थी
3	10 मई 2023	रजिस्ट्रेशन- प्रातः 09:00 से 10:00 काउंसलिंग- प्रातः 10:00 बजे से	मेरिट क्रमांक 51 से 80 तक के अभ्यर्थी

काउंसलिंग दिनांक :- 08 मई 2023 से 10 मई 2023

रजिस्ट्रेशन समय :- सुबह 9:00 से 10:00 बजे तक

(रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अनुपस्थित होने की स्थिति में आवेदक के सीट का दावा निरस्त हो जावेगा)

काउंसलिंग समय :- सुबह 10:00 बजे से

स्थान :- लेक्चर हॉल, प्रथम तल, नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा।

काउंसलिंग के दौरान स्कूटनी समिति द्वारा उम्मीदवारों के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों (Original Documents) की जांच की जावेगी। मूल दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

- 10 वीं कक्षा की अंकसूची।
- 12 वीं (10+2) कक्षा की अंकसूची।
- स्थानांतरण प्रमाण-पत्र।
- माईग्रेशन प्रमाण-पत्र।
- डिजीटल मूलनिवासी प्रमाण-पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र (10 वीं कक्षा की अंकसूची में जन्मतिथि अंकित ना होने पर)।
- डिजीटल जाति प्रमाण-पत्र केवल आरक्षित वर्ग के लिए।
- वैध आय प्रमाण-पत्र।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (EWS Certificate, जो कि वैध हो)।
- विभागीय कर्मचारियों के लिए मूल नियोक्ता द्वारा जारी एन.ओ.सी. की मूलप्रति।
- सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट।
- गैप सर्टिफिकेट (यदि आवेदक ने वर्ष 2022 से पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है)
- आधार कार्ड।
- समग्र आई.डी.।
- बैंक पासबुक (कियोस्क बैंक खाता स्वीकार नहीं होगा)।
- पासपोर्ट साईज कलर 10 फोटो।

नोट :-

1. काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। नियत समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सीट मेरिट के आधार पर आवंटित कर दी जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

निरंतर - 02



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा
संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: paramedicalgmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

//02//

- काउंसलिंग में सीट आवंटित होने पर सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम की पूर्ण फीस एकमुश्त (Full Fees) D.D., RTGS/NEFT, Online अथवा Cash के माध्यम से जमा करवानी होगी, अन्यथा सीट आवंटन रद्द हो जाएगा।
- छात्रवृत्ति का लाभ मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल के नियमानुसार एवं निर्देशानुसार प्रवेश के पश्चात् प्राप्त होगा।
- काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में से किसी भी पाठ्यक्रम में उपलब्धता अनुसार प्रवेश मिल सकता है जिसकी पूर्ण फीस प्रवेश के समय एकमुश्त जमा करनी है। अतः समस्त अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उन्हे डिग्री पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक फीस साथ लाना चाहिए जिससे की प्रवेश के समय किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो।
- EWS श्रेणी में प्रवेश लेने हेतु निर्धारित प्रारूप में पात्र अनारक्षित उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।
- काउंसलिंग के दौरान प्रवेशित अभ्यर्थियों को सीट लिविंग बाण्ड एवं स्थानांतरण (TC) एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट मुल दस्तावेजों हेतु एफिडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- काउंसलिंग में भाग लेने हेतु समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।
- काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को काउंसलिंग फीस रु. 500/- काउंसलिंग के समय जमा करवाना अनिवार्य होगा।
- काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग समिति द्वारा समय-समय पर दिये जा रहे निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग हॉल में अभ्यर्थी के साथ केवल एक व्यक्ति (माता/पिता/अभिभावक) को प्रवेश की अनुमति होगी।
- काउंसलिंग में समस्त आवेदकों को कोविड-19 के दौरान शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को स्वयं का मास्क एवं हेण्ड सेनिटाइजर लाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संभावित परिवर्तन की सूचना चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा की वेबसाइट www.gmckhandwa.org /नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। कृपया समय-समय पर अवलोकन करते है।
- प्रवेश संबंधी नियमों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के समस्त अधिकार नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा के पास सुरक्षित रहेंगे।

डॉ. अनंत टी. पवार
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म. खण्डवा